भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान
ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून–248171
दूरभाषः 0135–2629310, मोबाईलः 9758138560
E-mail Address: atiepidehradun@.nic.in

पत्रांकः NSTI/DDN-T-CIT/1/2020-21 दिनांकः 5 जनवरी 2021

आवश्यक सूचना

CITS सत्र 2020–21 में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में रेगुलर एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना व दिशा निर्देश

प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार सत्र 2020–2021 का CITS Batch दिनांक 11 जनवरी 2021 से प्रारम्भ हो रहा है। रेगुलर एडमिशन के लिए प्रशिक्षणार्थियों को Provisional Admission Receipt, Counseling Fee Rs. 1000/- deposit receipt, Admit Card of Entrance Test, Marksheet & Certificates of 10th /12th Exam., Marksheet & certificate of ITI/Diploma/B.Tech, SC/ST/OBC/EWS certificate in format as published on nimionlineadmission site, if appearing in ITI/Diploma/B.Tech., bonafide certificate issued by the concerned Principal/Institute, की ओरिजनल व फोटोस्टेट प्रति उपलब्ध करानी होगी।

1– सभी प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा कोविड–19 के बारें में जारी की गई मानक प्रचालन कार्यविधि(SOP) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियम का अनिवार्यतः पालन करना होगा।

2– सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर प्रशिक्षणार्थी के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

3– सभी प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान परिसर में प्रवेश के समय अपनी कोरोना की नवीनतम RT-PCR टैस्ट की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उनकों संस्थान परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। इस टैस्ट का आनलाईन मिलान किया जायेगा तथा किसी भी तरह की गडबडी पाये जाने पर सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

4– कोविड–19 के कारण इस बार संस्थान के छात्रावास में पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के लिए सीमित मात्रा में सीटे उपलब्ध है जिनको प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको की मेरिट व आरक्षण के नियमों के अनुसार आवंटित किया जायेगा।

5– जिन प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में स्थान आवंटित नहीं हो पायेगा उनको स्वंय के खर्चे पर अपने रहने की व्यवस्था बाहर करनी होगी।

जिन पुरूष प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास आवंटित होगा, उनको भी छात्रावास आवंटित होने तक अपने रहने की व्यवस्था स्वंय के खर्च पर बाहर करनी होगी।

6– महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए प्रवेश सूचना का नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

कृ0प0उ0

.....2.....

7– कोविड–19 के कारण इस बार छात्रावास में मैस सुविधा उपलब्ध नही है। अतः छात्रावास मे रहने के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को बाहर से अपने खाने आदि की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

8– सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतू एप अनिवार्य रूप से इंस्टाल, उपयोग तथा लगातार Update करते रहना होगा।

9– ऐसे प्रशिक्षणार्थी जोकि संस्थान के छात्रावास से बाहर रहेंगें तथा बाहर से संस्थान में प्रशिक्षण के लिए आयेगें, को संस्थान के छात्रावास में जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे प्रशिक्षणार्थी केवल प्रशासनिक भवन में ही आ सकेंगें। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी ऐसा करता पाया गया तो उसे तुरन्त संस्थान परिसर से बाहर निकाल दिया जायेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

10– सभी प्रशिक्षणार्थी अपने साथ आवश्यक मात्रा में फेस मास्क, फेस शील्ड व आवश्यक सेनिटाईजर आदि लेकर आयेगें।

11– प्रशिक्षण के दौरान सेनिटाईजेशन की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जायेगी।

12– प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रशिक्षणार्थी के बीमार/कोरोना पीडित होने पर उसे तत्काल अस्पताल में दाखिल होकर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहना होगा। अस्पताल का समस्त चार्ज प्रशिक्षणार्थी को स्वय वहन करना होगा। कोविड से सक्रंमित/प्रभावित प्रशिक्षणार्थी संस्थान में न आये क्योंकि ऐसा करने से दूसरे प्रशिक्षणार्थी सक्रंमित/ प्रभावित हो सकते है।

13– ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिनके पारिवारिक सदस्य कोविड से सक्रंमित/ प्रभावित है वे भी संस्थान न आयें।

14– सभी प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें।

उपरोक्त के अलावा सामान्य सुरक्षात्मक उपाय जिनका पालन सभी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना है:–

1– कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी।
2– फेस कवर/फेस शील्ड/मास्क अनिवार्य पहनना।
3– साबुन से बार–बार हाथ धोना/सेनेटाईजिंग।
4– श्वांस सम्बन्धी नियमों का सख्ती से पालन करना जैसे खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टीसू/रूमाल से ढककर रखना।
5– थूकना पूरी तरह प्रतिबन्धित होगा।
6– आरोग्य सेतू एप अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा।

Fee Structure (Subject to revision)

For Private Candidates		For Unreserved/EWS & OBC Category	For SC/ST/PH Category
1.	Registration Fee	Rs. 50/-	Nil
2.	Admission Fee	Rs. 100/-	Rs. 25/-
3.	Tution Fee	Rs. 1800/-	Rs. 600/-
4.	Examination Fee	Rs. 100/-	Rs.25/-
5.	CautionDeposit (Refundable)	Rs. 250/-	Rs. 250/-
6.	Library Deposit	Rs. 20/-	Rs. 20/-
7.	Zymkhana Fee	Rs. 100/-	Nil
	Total (For Non Hostellers)	**Rs. 2420/-**	**Rs. 920/-**
8.	Hostel Rent	Rs.1300/-	Rs.1300/-
9.	Hostel Deposit (Refundable)	Rs. 125/-	Rs. 125/-
	Total (For Hostellers)	**Rs.3845/-**	**Rs. 2345/-**

छात्रावास के लिए कोविड–19 नियम

1– प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन व प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा कोविड–19 के बारें में जारी की गई मानक प्रचालन कार्यविधि(SOP) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

2– प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपने आवंटित कक्ष से बाहर आने पर दूसरे लोगों के close contact में आने से बचना होगा, जब आवश्यक हो हैण्ड सेनिटाईजर का उपयोग करना तथा मास्क पहनना होगा।

3– कोरोना से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रावास मे रहने के दौरान किसी भी प्रशिक्षणार्थी को बार–बार परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी प्रशिक्षणार्थी अपने कक्ष के अलावा किसी अन्य प्रशिक्षणार्थी के कक्ष में न तो जायेगा और न ही छात्रावास में बिना वजह इधर उधर घूमेगा।

4– किसी भी प्रशिक्षणार्थी को कोविड–19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर इसको गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी जिसमें ऐसे प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास से भी निकाला जा सकता है।

5– छात्रावास कक्षों में किसी को भी खाना आदि बनाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी ऐसा करता पाया जायेगा तो इसको गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी जिसमें ऐसे प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास से भी निकाला जा सकता है।

6– सभी को अवगत हो कि छात्रावास के कक्ष अस्थाई रूप से आवंटित किये जायेंगे तथा संस्थान आवश्यकता पडने पर कभी भी कक्षों को खाली करा सकता है।

7– कोई भी प्रशिक्षणार्थी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उनकों आवटित कक्षों/छात्रावास भवन या छात्रावास के फर्नीचर को कोई नुकसान हो। ऐसे नुकसान की भरपाई सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी या प्रशिक्षणार्थियों के समूह से की जायेगी।

8– सभी को अवगत हो कि छात्रावास में प्रशिक्षणार्थी केवल सत्र 2020–21 की वार्षिक परीक्षा होने तक ही रह सकेंगें। परीक्षा पूरी होने पर प्रशिक्षणार्थियों को तत्काल छात्रावास खाली करना होगा।

अतः इस संस्थान में CITS Batch सत्र 2020–2021 में एडमिशन लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी अपने सभी आवश्यक कागजातों सहित दिनांक 11 जनवरी 2021 को संस्थान में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। दिनांक 11 जनवरी 2021 को ही शुल्क आदि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्रावास आवंटन में तीन–चार दिनों का समय लग सकता है।

सलंग्न प्रवेश फार्म को अपनी हैण्ड राईटिंग में पूरी तरह साफ–साफ भरकर साथ लायें। अपने नवीनतम दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ भी साथ लायें। निर्धारित प्रारूप में सक्षम चिकित्साधिकारी/चिकित्सक द्वारा जारी किया गया मैडिकल फिटनैस प्रमाण पत्र भी साथ लाये।

संयुक्त निदेशक/कार्यालयध्यक्ष

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (डीजीटी)
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान
ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान देहरादून

ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून–248171

प्रवेश फार्म (शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना सत्र 2020–2021)

Admission Form (Craft Instructor Training Scheme Session 2020-2021)

1.	अभ्यर्थी का नाम हिन्दी में: Name of participant in English (in block letters)	
2.	पिता का नाम हिन्दी में: Father 's Name in English (in block letters)	
3.	माता का नाम हिन्दी में: Mother 's Name in English (in block letters)	
4.	पति का नाम हिन्दी मे (यदि लागू हो): Husband's Name in English (in block letters)	
5.	व्यवसाय का नाम / Name of the Trade	
6.	जन्म तिथि / Date of Birth	
7.	किस श्रेणी से सम्बन्ध रखते है Whether belongs to SC/ST/OBC/ General/EWS/ Woman category:	
8.	आधार कार्ड नम्बर : फोटोस्टेट प्रति सलंग्न करें।	
9.	शैक्षणिक योग्यता / Educational qualification	
10.	तकनीकी योग्यता / Technical qualification	
11.	क्या आपको हिन्दी / अग्रेंजी का ज्ञान है / Have you knowledge of Hindi/English ?	
12.	क्या छात्रावास चाहिए, यदिं हां तो घर से दूरी / माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय दर्शायें।	
13.	प्रवेश परीक्षा 2020 का रोल नम्बर / पंजीकरण आईडी Roll No./Regn. ID of AICET 2020	CITS20AU
14.	प्रवेश परीक्षा 2020 में प्राप्त अंक Mareks obtained in AICET 2020	
15.	संस्थान में पंहुचने की तारीख Date of Arrival at Institute	
16.	स्थाई पता हिन्दी में: Permanent Address in English in block letter)	
17.	पत्र व्यवहार के लिए पता हिन्दी में: Address for Correspondence in English (in block letter)	
18.	टेलीफोन नम्बर, मोबाईल नम्बर व E-mail ID	

मै शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यदि प्रशिक्षण अवधि के दौरान या उसके बाद भी कभी कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो मेरा अभ्यर्थन रदद कर दिया जाये जिसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक: अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के हस्ताक्षर

स्थान:

कार्यालय प्रयोग के लिए

	प्रवेश संख्या / Admission No.	

Fee Structure

For Private Candidates		For Unreserved/EWS & OBC Category	For SC/ST/PH Category
1.	Registration Fee	Rs. 50/-	Nil
2.	Admission Fee	Rs. 100/-	Rs. 25/-
3.	Tution Fee	Rs. 1800/-	Rs. 600/-
4.	Examination Fee	Rs. 100/-	Rs.25/-
5.	Caution Deposit (Refundable)	Rs. 250/-	Rs. 250/-
6.	Library Deposit	Rs. 20/-	Rs. 20/-
7.	Zymkhana Fee	Rs. 100/-	Nil
	Total (For Non Hostellers)	**Rs. 2420/-**	**Rs. 920/-**
8.	Hostel Rent	Rs.1300/-	Rs.1300/-
9.	Hostel Deposit (Refundable)	Rs. 125/-	Rs. 125/-
	Total (For Hostellers)	**Rs.3845/-**	**Rs. 2345/-**

कृपया उपरोक्तानुसार शुल्क के रूपये प्राप्त करें।

प्रभारी–सीआईटीएस

रोकडिया

क्रम संख्या	शुल्क का विवरण	रसीद संख्या	दिनांक	रूपये
1.	Caution Money			
2.	जिमखाना शुल्क			
3.	अन्य शुल्क			

हस्ताक्षर रोकडिया

CERTIFICATE OF FITNESS

I, do hereby certify that I have examined Shri/Smt./Km.......................................
Son/Daughter/wife of Shri.. for
training in National Skill Training Institute, Dehradun, and cannot discover that he/she has any disease constitutional weakness or bodily infirmity except..................

He/She is medically fit to join the training Program at NSTI Dehradun.

Signature/Thumb Impression
of Candidate Attested

Signature of Medical Officer
Seal:
Date: